दिनांक 15.09.2017 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार की अध्यक्षता में बामेती, पटना के सभाकक्ष में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– पंजी में संधारित।

सर्वप्रथम कृषि निदेशक, बिहार द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

1. कृषि निदेशक, बिहार द्वारा सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित होने वाली लगभग सभी योजनाओं की स्वीकृति हो गई है। फिर भी व्यय बहुत कम है। विभाग का कुल उद्व्यय 2400 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक मात्र 64 करोड़ रू0 व्यय हुआ है, जो बहुत ही दयनीय है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को व्यय को अधिक तेजी से बढ़ाने का निदेश दिया गया।
2. आकस्मिक फसल योजना :– निदेश दिया गया कि आकस्मिक फसल योजना अन्तर्गत जिन जिलों को वैकल्पिक बीज की आवश्यकता है वे फसलवार बीज की आवश्यकता का आकलन कर दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दें तथा जिन जिलों को बीज की आवश्यकता नहीं है वे आज ही लिखकर दे दें। दक्षिण बिहार के जिले जहाँ बाढ़ नहीं आई है वे भी अपना बीज की आवश्यकता संबंधित संशोधित आकड़ा भेज दें। निदेश दिया गया कि जिले की परिस्थिति के अनुसार आगत मसूर, मक्का, राई सरसों इत्यादि लगाया जाय। बीज कम्पनियों के साथ बैठक कर राज्य स्तर से बीज की व्यवस्था की जा रही है। रब्बी मौसम में बाढ़ प्रभावित जिलों में सबसे पहले बीज दी जायेगी। सभी जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिला के बीज डीलर से वार्ता कर लें तथा उन्हें जिला में बीज की आपूर्ति करने का निदेश दें।

((अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी))

3. रब्बी अभियान :– सूचित किया गया कि इस वर्ष 5–6 अक्टूबर, 2017 को रब्बी अभियान की शुरूआता होगी। 05 अक्टूबर, 2017 को प्रगतिशील किसान/कृषि वैज्ञानिकों/उपादान विक्रेताओं/कृषि पदाधिकारियों से सुझाव एवं तकनीकी जानकारी प्राप्त की जायेगी। 09 अक्टूबर, 2017 की सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में प्रमंडल स्तरीय रब्बी कर्मशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होगा। 11 अक्टूबर, 2017 को सभी जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय रब्बी कर्मशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होगा। 13 अक्टूबर, 2017 को कृषि महाभियान रथों को हरी झण्डी दिखाकर जिलों के लिए रवाना किया जायेगा तथा दिनांक 14–18 अक्टूबर,2017 तक प्रखंड स्तरीय शिविर एवं प्रशिक्षण–सह–उपादान वितरण किया जायेगा।

((अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, शष्य))

4. कृषि यांत्रिकीकरण :–

4.1 कृषि यांत्रिकरण योजना की समीक्षा के क्रम में राज्य नोडल पदाधिकारी (यांत्रिकरण) द्वारा बतलाया गया कि दिनांक 07.08.2017 से ऑन लाईन आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं और अबतक कुल 13717 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों एवं प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को अधिक से अधिक ऑन लाईन आवेदन प्राप्ति हेतु BAO/AC/SAO की समीक्षा बैठक करने एवं योजना का प्रचार प्रसार करने का निदेश दिया गया। आवेदन प्राप्ति कि स्थिति किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, अरवल, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मुंगेर, लखीसराय, औरंगाबाद, शेखपुरा, सीतामढ़ी, भागलपुर, शिवहर एवं खगड़िया में बहुत ही दयनीय है।

4.2 दिनांक 02.11.2017 से 04.11.2017 तक भोपाल (म0प्र) में कम्बाईन हार्वेस्टर के परिचालन एवं रख–रखाव का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इसके लिए प्रत्येक जिले से 2–2 किसानों की सूची मांगी गयी है। परंतु कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वैसे जिले जहाँ कम्बाईन हार्वेस्टर का अधिक प्रचलन है वहाँ से 5–5 बेरोजगार युवकों की सूचीं अविलंब बामेति निदेशक को भेज दी जाय।

4.3 OFMAS में भारत सरकार द्वारा L.G. Directory Code लागू किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद/ वार्ड/ग्राम इत्यादि अंकित है, परंतु पूर्व से OFMAS में प्रविष्टि सूची उससे भिन्न है। इसके लिए सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने जिला पंचायती राज पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर L.G. Directory में प्रविष्टि कराई जाय। तत्पश्चात विस्तृत सूची यांत्रिकरण कोषांग को भेजी जाय, ताकि NIC के माध्यम से अपडेट कराया जा सके।

4.4 नोडल पदाधिकारी यांत्रिकरण द्वारा बतलाया गया कि NIC द्वारा डीलर रजिस्ट्रेशन एवं ट्रैक्टर पर अनुदान हेतु सॉफ्टवेयर में कार्य किया जा रहा है। अगले सप्ताह से डीलर रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने के पश्चात स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।

4.5 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि योजना में गड़बड़ी करने वाले कृषि यंत्र विक्रेताओं की सूची प्रंमडलीय संयुक्त निदेशक की अनुशंसा के उपरांत कृषि निदेशक बिहार पटना को काली सूची में डालने हेतु भेजी जाय।

4.6 SMAM योजनान्तर्गत कस्टम हायरिंग हेतु कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने से सम्बंधित समीक्षा में प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को पहले आओं पहले पाओं के आधार पर यथाशीघ्र आवेदन प्राप्त कर यंत्र बैक स्थापित करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले माह में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

((अनु0–कंडिका 4.1 से 4.6– सभी जिला कृषि पदाधिकारी))

5. <u>उर्वरक :–</u>

5.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसी भी जिला में कोई उर्वरक की कमी नहीं है। अभी राज्य में 91,228 मे0 टन0 यूरिया, 98,265 मे0 टन0 डी0ए0पी0, 33098 मे0 टन0 एन0पी0के0 तथा 24,537 मे0 टन0 एम0ओ0पी0 भण्डार में अवशेष है। सूचित किया गया कि रब्बी हेतु सभी उर्वरकों का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त हो गया है। 01 अक्टूबर, 2017 से रब्बी हेतु आवंटित उर्वरक राज्य में आना प्रारम्भ हो जायेगा।

5.2 जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा सूचित किया गया कि उनके जिला में रैक प्वाइन्ट रहने के बावजूद भी उन्हें फतुहा/गया के रैक प्वाइन्ट से उर्वरक उठाना पड़ता है। प्रभारी पदाधिकारी, उर्वरक कोषांग द्वारा बताया गया कि छोटा जिला होने के कारण उर्वरक कम्पनियों द्वारा पूरा एक रैक उर्वरक जहानाबाद में आपूर्ति नहीं की जाती है। निदेश दिया गया कि प्रत्येक मौसम में कम से कम एक रैक जहानाबाद में भी लगाया जाय।

((अनु0–प्रभारी पदाधिकारी, उर्वरक कोषांग))

5.3 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 24,362 पी0ओ0एस0 मशीन की आवश्यकता के विरूद्ध अभी तक राज्य में विभिन्न कम्पनियों द्वारा 18334 पी0ओ0एस0 की आपूर्ति की गई है। जिसमें 8215 पी0ओ0एस0 मशीन खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को वितरित कर दिया गया है। अभी तक सीतामढ़ी, शिवहर, नवादा, खगड़िया एवं अरवल में सम्बद्ध कम्पनियों द्वारा पी0ओ0एस0 मशीन उपलब्ध नहीं कराया गया है। पी0ओ0एस0 मशीन वितरण में भोजपुर, बक्सर, रोहतास, सिवान, अररिया, सुपौल एवं नालन्दा की उपलब्धि बहुत ही दयनीय है। इन जिलों में अविलम्ब पी0ओ0एस0 मशीन वितरित कराने का निदेश दिया गया।

((अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी))

5.4 उर्वरक कालाबाजारी एवं छापामारी की संख्या भभुआ, गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर, जमुई एवं किशनगंज में शून्य पाई गई।

5.5 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उर्वरक निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही मात्र पटना, बक्सर एवं सारण जिला से प्राप्त हुआ है। शेष जिलों से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि जिला

स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित कराई जाए एवं बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराई जाय।

5.6 निदेश दिया गया कि कृषि निदेशालय के पत्र सं0–708 दिनांक 31.08.2017 के आलोक में महालेखाकार को भेजने हेतु Performance Audit on Urea Subsidy से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

5.7 कृषि निदेशालय के पत्रांक 694 दिनांक 23.08.2017 के आलोक में उर्वरक निरीक्षकों की सूची, पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, बेगुसराय, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बांका, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार, अररिया एवं खगड़िया से अभी तक अप्राप्त है। इसे अविलम्ब भेजने का निदेश दिया गया।

5.8 उर्वरक सत्यापन प्रतिवेदन बी01 (मात्रा) एवं बी0 2 (गुणवत्ता) अनिवार्य रूप से ससमय भेजने का निदेश दिया गया ताकि कम्पनियों को उर्वरक सब्सिडी हेतु ससमय कार्रवाई की जा सके।

((अनु0–कंडिका 5.5 से 5.8–सभी जिला कृषि पदाधिकारी))

6. <u>बीज :–</u>

6.1 मुख्यमंत्री तीव्र बीज़ विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकीट योजना एवं आधार बीज पर अनुदान योजना का स्वीकृति आदेश एवं आवंटन आदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है। खरीफ मौसम समाप्त हो गया है, फिर भी जिलों में राशि की निकासी नहीं हो रही है। निदेश दिया गया कि खरीफ में की गई उपलब्धि के विरूद्ध अविलम्ब राशि की निकासी कर कृषकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

((अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी))

6.2 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि खरीफ, 2017 में अनुदान पर आधार बीज वितरण की उपलब्धि अधिकांश जिला में बहुत ही दयनीय है। अरहर में मात्र भोजपुर जिला में लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि हुई है। शेष जिलों में अरहर बीज वितरण की उपलब्धि शून्य हैं। सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को इसपर विशेष ध्यान देने तथा बीज कार्यक्रमों की समीक्षा कर सभी कार्यक्रमों में कृषकों को शत–प्रतिशत बीज वितरण कराने एवं सभी छः बीज कम्पनियों के बीज की बिक्री जिलों में सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

((सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक, शष्य))

7. <u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :–</u>

7.1 सूचित किया गया कि पूर्व वर्ष के अवशेष राशि को जोड़कर भारत सरकार द्वारा संशोधित कार्य योजना उपलब्ध कराया गया है। इस कार्य योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 का जिलावार संशोधित लक्ष्य भेजा जा रहा है। इसमें रब्बी एवं गरमा के लक्ष्य को संशोधित किया गया है, खरीफ का लक्ष्य पूर्ववत ही रहेगा।

भारत सरकार से प्राप्त संशोधित कार्य योजना के आलोक में जो लक्ष्य भेजा जा रहा है उसके अनुसार योजना अन्तर्गत कुल 58 प्रतिशत राशि उपलब्ध है। इसमें से अभी तक कुल 12 प्रतिशत राशि व्यय हुआ है। चावल योजना में 27 प्रतिशत तथा कोर्स सिरियल में 35 प्रतिशत राशि अभी तक व्यय हुआ है। उक्त अवशेष राशि के अनुसार माह–सितम्बर, 2017 तक कार्य उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

7.2 सभी जिला कृषि पदाधिकारी को वित्तीय वर्ष 2016–17 का अव्यवहृत एवं अवशेष राशि संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में दिनांक 18.09.2017 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

7.3 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के चावल योजना अन्तर्गत पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, अररिया, गोपालगंज एवं दरभंगा की उपलब्धि बहुत ही दयनीय है। दलहन योजना अन्तर्गत शिवहर में 20 प्रतिशत तथा बेगुसराय में 19 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है।